(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 7 (आरई - 2012)/2009-2014 दिनांक : 26 जून, 2012

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के अध्याय 3 की विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) तथा फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क और परिशिष्ट 37घ में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) 2009-14 के परिशिष्ट 37क तथा 37घ में एक "टिप्पणी" जोड़ते हैं।

5 जून, 2012 से किए गए निर्यातों के लिए तालिका 1 तथा तालिका 2 के नीचे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 37क में और तालिका 1 तथा तालिका 2 के नीचे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 37घ में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी गई है:

"टिप्पणी: अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों में स्थित किसी भी भू सीमाशुल्क स्थलों (एलसीएस) के जरिए उपरोक्त तालिका 1 तथा तालिका 2 में सूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ड्यूटी क्रैडिट स्क्रिप के पात्र होंगे।"

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के सभी भू सीमाशुल्क स्थलों के जरिए किए जाने वाले विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात 1 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे।

ह0/-

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/61/180/0047/एएम13/पीसी-3 से जारी)